

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी.18, वन भवन, सैक्टर-6, पंचकूला, दूरभाष 0172.2563988, 2563861 E-mail : cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक:- डी-तीन-10520/2141

दिनांक:- 26/10/2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन एवं वन्यप्राणी विभाग।

विषय: Diversion of 0.0935 ha. (instead of 0.0083 ha.) of Forest land for approach access to the proposed Retail Outlet of IOCL on Gurgaon-Farrukhnagar Road KM 18-19 L/side at village Sultanpur under forest Division & Distt. Gurugram, Haryana. FP/HR/Approach/149810/2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा दिनांक 15.02.2023 को मांगी गई जानकारी निम्नप्रकार से भेजी जाती है:-

S.No.	Query	Reply
1.	The forest area falls in ECO sensitive zone .	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकूला ने उनके पत्र क्रमांक 1158 दिनांक 06.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री अजीत सिंह सपुत्र श्री चंद्रभान, गांव चंदु, गुरुग्राम को पेट्रोल पम्प लगाने के लिए उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 748 दिनांक 19.07.2021 जारी अन्नापति प्रमाण पत्र वैध है। (प्रति संलग्न)

संलग्न/उपरोक्त

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला।

25/10/23

25.10.23

CFMS :- FRT26102023 - 5270

वन एवं वन्य प्राणी विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय:- प्र०मु०व०स० एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा

वन भवन सी-18, सैक्टर-6, पंचकुला-134109 फोन/फैक्स नं. 0172.2561224, 2583682 pccfwlhry@gmail.com

क्रमांक :-

1158

दिनांक:- 6/10/2023

सेवा में

अति० प्र०मु०व०स० (एफ०सी०ए)
कार्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
हरियाणा पंचकुला।

विषय: **NOC for only wildlife angle of the Retail Outlet Pump in Village Bhudhera & Sultanpur, District Gurugram by Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chanderbhan, R/o Vill. Chandu, Gurugram.**

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक एफ०सी०ए०/1519 दिनांक 12.09.2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chanderbhan, R/o Village Chandu, Gurugram को पेट्रोल पम्प लगाने के लिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 748 व 750 दिनांक 19.07.2021 को अन्नापति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 को आदेश पारित किये गये कि वन्य जीव विहार/नैशनल पार्क के एक किलोमीटर व Eco-Sensitive Zone में permanent structure नहीं बनाये जायेंगे।

अब Hon'ble Supreme Court ने W.P 202 of 1995 T.N Godavarman Vs Union of India ने dated 26-04-2023 को आदेश पारित किये हैं तथा दिनांक 03.06.2022 को दी गई judgment में modification कर दी गई है व इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 748 व 750 दिनांक 19.07.2021 द्वारा जारी किया गया अन्नापति प्रमाण पत्र वैध है।

Supada (etc)
19/10/23

H. S. S. S.
09/10/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।

19/10/23